(262) (138) III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/2758

न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

जिला रीवा म0प्र0

विलोपित/विलोपित

उमा देवी पत्नी सरयू प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 41 वर्ष पेशा घरूकार्य निवासी सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 —— निगरानीकर्ता/ आवेदक

बनाम

1— राजकुमार तनय श्री स्व महेन्द्र प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम सिरमौर जिला रीवार म0प्र0

2— म0प्र0 शासन ——गैर निगरानीकर्ता/अना0

आवेदक अभिभाषक श्री सूर्यनाथ पाण्डेय द्वारा पेश/21-8-17

21-8-17

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

~~स्म~~ निगरानी विरूद्व आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 के प्रक0क0 35अ/12 /2016—17 आदेश दिनांक 14—07—17 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित है :—

1— यह कि आवेदिका ने आराजी नं0 1290/3 व 1299/1 मौजा सिरमौर तह0 सिरमौर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर प्रकरण क0 8अ/12 /2015—16 में दर्ज कर सीमांकन की कार्यवाही की गई और मौके की स्थित के मुताबिक सीमा चिन्ह निर्धारित करते हुये पत्थर गडवाये गये और दिनांक 25—07—16 को आदेश पारित करते हुये सीमाकन की पुष्टि की गई और राजकुमार मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त किया गया जो निराधार है। अनावेदक क0 1 द्वारा आराजी नं0 1284, 1289,1294 स्थित ग्राम सिरमौर के यहाँ पर सीमाकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण क0 ~~प्रक0क0~~ 35अ/12 /2016—17 कायम कर सीमांकन आवेदन में बगैर मौक मुआयना किये प्रतिवेदन तैयार किया जिसकी जानकारी होने पर कुसुम कली ,रामगोपाल व सरयू प्रसाद ने दिनांक 12—06—17 को आपत्ति प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व निरीक्षक के द्वारा व उमा देवी द्वारा भी आपत्ति

उमा चतुर्वेदी

(138)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/2758 जिला रीवा

उमा देवी विरूद्ध राजकुमार

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री सूर्यनाथ पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त सिरमौर तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 35/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14.07.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	